

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर आर सी टी 152/17

दांडिक प्रकरण क.-119/17

संस्थापित दिनांक-20.04.17

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	अभियोजन
विरुद्ध	
01-दरयावसिह पुत्र राजाजू यादव आयु 26 वर्ष 02-परमारसिह पुत्र राजाजू यादव आयु 23 वर्ष 03-पहलादसिह पुत्र राजाजू यादव आयु 26 वर्ष निवासीगण ग्राम सिंहपुरताल, चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)	आरोपीगण
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता।	

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 05.01.2018 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354ए,452,323,34,509 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 323 दो बार, 509,34 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 354ए,452 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी सोनूबाई ने दिनांक 23.03.17 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 23.03.17 को 20:00 बजे आरोपीगण उसकी किचिन में घुस आए तथा उसके साथ मारपीट करने लगे एवं उसके पति के साथ भी मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 116/17 के अंतर्गत भादवि की धारा 354ए,452,323,34,509 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354ए(11), 452, 323 दोबार, 509,34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 23.03.17 को समय 20:00 बजे फरियादिया का घर ग्राम सिंहपुरताल चंदेरी पर फरियादी सोनूबाई से अश्लील बात करते हुए उससे अनैतिक संबंध बनाने की मांग की ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी सोनूबाई के घर में घुसकर उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

**--:: सकारण निष्कर्ष ::--**

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 सोनूबाई यादव, अ.सा.2 परमालसिंह, अ.सा.3 ज्योति, अ.सा.4 इन्द्रपाल, अ.सा.5 हुकुमसिंह, अ.सा.6 लाखनसिंह, अ.सा.7 मीराबाई, अ.सा.8 आर एस राजौरिया, की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 सोनूबाई यादव ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह अपने खेत पर घांस पटाने गई थी तथा आरोपी दरयाव ने कहा था कि तुम मुझे दोगी तो उसने उसे चप्पल से मारा था। उक्त साक्षी के अनुसार घटना के बाद तीनों आरोपीगण उसके घर में आ गये तथा उसके साथ मारपीट की एवं उसके पति के साथ भी मारपीट की। उक्त साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी01 लेखवद्ध कराई थी तथा पुलिस ने नक्सा मौका प्र0पी02 तैयार किया था। अ.सा.2 परमाल सिंह जो कि फरियादिया का पति है ने अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण उसके घर में घुस आए थे तथा उसकी पत्नी एवं उसके साथ मारपीट की थी। अ.सा.1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आरोपीगण उसके घर में नहीं घुसे अ.सा.1 के अनुसार वह आरोपीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती। अ.सा.1 के अनुसार उसे आरोपी दरयाव खेत पर नहीं मिला। इसी प्रकार अ.सा.2 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार खेत के विवाद के कारण उसकी पत्नी ने गुस्से में रिपोर्ट कर दी थी।

09— अ.सा.3 ज्योति, अ.सा.4 इंद्रपाल, अ.सा.5 हुकुमसिंह, अ.सा.6 लाखनसिंह एवं अ.सा.7 मीराबाई ने अपने कथन में बताया है कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त सभी साक्षीगण पक्षद्रोही हो गये हैं। उक्त सभी साक्षीगण ने पुलिस को कथन देने से भी इंकार किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने सोनूबाई के साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षीगण ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपगण परमाल के घर में घुस गये थे। अ.सा.6 एवं अ.सा.7 ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी दरयाव ने उसकी लडकी के साथ अश्लील बात की थी। अ.सा.8 जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये गये थे तथा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था।

10— अभियोजन द्वारा अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी पक्षद्रोही हो गये हैं। उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी दरयाव ने फरियादिया से अश्लील बातें की थी। उक्त साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण फरियादिया के घर में घुस गये थे। उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अभिलेख पर मात्र अ.सा.1 एवं अ.सा.2 की साक्ष्य शेष रह जाती है जिसके आधार पर निष्कर्ष देना है कि क्या आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है।

11— अ.सा.1 एवं अ.सा.2 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आरोपी दरयाव ने अ.सा.1 के साथ खेत पर अश्लील बातें की थी तथा सभी आरोपीगण अ.सा.2 के घर में घुस गये थे तथा मारपीट की थी। उल्लेखनीय है कि दोनों साक्षीगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में इसके विपरीत कथन किया है। अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपी दरयाव उसे खेत पर नहीं मिला तथा यह भी कथन किया है कि आरोपीगण के विरुद्ध वह कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। इसी प्रकार अ.सा.2 ने इस बात से इंकार

किया है कि आरोपीगण उसके घर में घुस गये थे। दोनों साक्षीगण ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनका खेत का विवाद चल रहा है। अ.सा.2 ने अपने कथन में यह भी कहा है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसकी पत्नी ने खेत के विवाद को लेकर गुस्से में रिपोर्ट कर दी थी। इस प्रकार अ.सा.1 एवं अ.सा.2 की साक्ष्य न केवल विरोधाभास है बल्कि उनके द्वारा मुख्य परीक्षण के एकदम विपरीत कथन किये गये हैं। अतः अ.सा.1 एवं अ.सा.2 की साक्ष्य पर विश्वास करने का कोई पर्याप्त आधार विद्यमान नहीं है वह भी ऐसी दशा में जबकि उक्त साक्षीगण अपने मुख्य परीक्षण के एकदम विपरीत कथन कर रहे हों। उल्लेखनीय है कि दोनों साक्षीगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपीगण उनके घर में नहीं घुसे तथा अ.सा.1 जो कि मामले की फरियादी भी है ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपी दरयाव उसे खेत पर नहीं मिला।

12— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य में न केवल विरोधाभास है बल्कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपी दरयाव ने फरियादी सोनूबाई से अश्लील बातें की थी। अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण उक्त घटना दिनांक को फरियादी के घर में उपहति कारित करने के आशय से घुसे थे।

13— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 354ए एवं 452 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

15— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

16— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)